संख्या-5 / 2017 / 110 / 74-2-2017-03(ब) / 2016

प्रेषक,

हरिशंकर भट्ट
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 30 मार्च, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-07-रेशम विकास योजना के अन्तर्गत द्वितीय किस्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4412 / सेरी0 / नियो0 / बजट आवंटन / 2016-17 दिनांक 10 मार्च, 2017 के संदर्भ एवं शासनादेश सख्या-28 / 2016 / 932 / 74-2016-03(ब) / 2016 दिनांक 28 जुलाई, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-07-रेशम विकास योजना के अन्तर्गत मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य मद में सम्यक विचारोपरान्त द्वितीय किस्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 115.16 लाख (रूपया एक करोड पन्द्रह लाख सोलह हजार मात्र) की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति / सहमति शासन से अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृति धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाय तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जाय। किसी भी प्रकार के विचलन / दुरूपयोग की स्थिति में निदेशक, रेशम, उ0प्र0 स्वयं जिम्मेदार / उत्तरदायी होगें।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) निर्माण कार्यो के लिए सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) आदि के निर्धारण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2- वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-07-रेशम विकास योजना के अन्तर्गत मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरिशंकर भट्ट)
संयुक्त सचिव,

संख्या-5/2017/110(1)/74-2-2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(7) नियोजन अनुभाग-4
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in